कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांकः–स्था० / 2020 / 45 दिनांकः– 26/3/2020

–: आदेश :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक 09 / पीआई / 2020 दिनांक 19.03.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय सहित इस न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों द्वारा अपने अराजपत्रित कर्मचारीगण की उपस्थिति संख्या 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने के क्रम में कार्यालय आदेश जारी किये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना से बचाव हेतु पूर्व में जारी किये गये समस्त परिपत्रों को समाहित करते हुये परिपत्र क्रमांक 12 / पीआई / 2020 दिनाक 24.03.2020 जारी कर न्यायालयों में कार्यरत कार्मिकों हेतु यह निर्देश जारी किये गये हैं कि अत्यावश्यक कार्यों को सम्पादित करने के लिये केवल आवश्यक संख्या में कार्मिकों को रोटेशनल बेसिस पर बुलाया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के क्रम में धौलपुर न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत कार्मिक के संबंध में जारी समस्त आदेशों को निम्न व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यथानुसार अतिलंघित करते हुये यह व्यवस्था स्थापित की जाती है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था. / 2020 / 42 दिनांक 23.03.2020 से जिन न्यायिक अधिकारीगण को अत्यावश्यक कार्य के सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है, केवल उन न्यायालयों का 50 प्रतिशत स्टाफ ही कर्तव्य स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे। उन न्यायालयों के संबंध में उनके द्वारा 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति बावत् निर्धारित की गई व्यवस्था लागू रहेगी। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि राजाखेडा मुख्यालय पर कार्यरत एकल न्यायालय के कार्मिकों के संबंध में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति बावत् उक्त न्यायालय द्वारा जारी आदेश यथानुसार प्रभावी रहेगा।

उक्त कार्मिकों के अतिरिक्त शेष कार्मिक कार्यालय समय में अपने आवास पर ही उपस्थित रहेंगे, बिना अनुमति मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे तथा अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे। आवश्यकता होने पर उक्त कार्मिकों को आहुत किया जाकर उनसे कार्य लिया जा सकता है।

26/3/20
जिला एवं सैशन न्यायाधीश
धौलपुर (राज०)

क्रमांकः–स्था० / 2020 / 1695–1717 दिनांकः– 26/3/2020

प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् पीठासीन अधिकारी, समस्त न्यायालय, धौलपुर न्यायक्षेत्र
2. कम्प्यूटर लिपिक को भेजकर लेख है कि आदेश को तुरंत जिला न्यायालय की अधिकृत बेवसाईट एवं समस्त न्यायालयों की ई–मेल आई.डी. पर अपलोड करें।
3. आदेश / सम्बन्धित पत्रावली

आज्ञा से

वरिष्ठ मुंसरिम
जिला न्यायालय, धौलपुर